


प्र/निगम/रीवा/भू-श/2018/02433

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल न्यायालय, कैम्प कोर्ट रीवामण्डल



- 1:- गैबी पिता सियम्बर | दोनो निवासी राजिग्वां
- 2:- बृष्माती पिता विन्ध्यावरी , |
- 3:- रमाकान्त पटे ल तनय रामावतार
- 4:- छोटे लाल पटेल | तनय राम कुमार
- 5:- यसलाल पटेल |
- 6- हीरा लाल पटेल |

सभी निवासी गण राजिग्वां, तहसील मऊगंज जिला रीवा मण्डल

— आवेदकगण

बनाम

श्रीधरजी अहमद  
कुंठिवारी बरवा वही  
17-11-18 (ml)

- 1:- महादेव तनय लालमणि
- 2:- सिद्ध मुनि पिता राम मनोहर
- 3- प्रहलाद तनय बिहारी लाल
- 4- राम लखन तनय राम बिहारी
- 5- मु० बसन्ती बेवा वसुधा

निवासी ग्राम खैरा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा मण्डल

— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेशा अपर कलेक्टर महोदय  
रीवा के प्रमाण अ 74/2013-2014 दिनांक  
दिनांक 21-2-2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 धारा 50 सीहत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

५१

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

दो/निग./रीवा /2018/2433

गैवी आदि विरुद्ध महादेव आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-2018	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री बहमेन्द्र कु0 तिवारी उपस्थित हुये, उन्हें कायमी पर सुना गया ।</p> <p>2/ प्रकरण में संलग्न अपर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने सभी बटा नम्बरों का नक्शा तरमीम स्थल जांच उपरांत सभी समवर्ती पक्षकारों की उपस्थिति में कराये जाने के आदेश दिये हैं । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती। अतः प्रकरण में ग्राह्य के पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p> <p>3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> सदस्य 20/6/18</p>	